धारा-28. सहकारी समिति में अन्तिम अधिकार- इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी समिति का अन्तिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उन परिस्थितियों में जो नियत की जाये, 1[अन्तिम प्राधिकार ऐसे सदस्यों के नियत रीति से निर्वाचित और सामान्य बैठक में समयेत प्रतिनिधियों में निहित होगा] और उस दशा में इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों में सामान्य निकाय तथा सामान्य बैठक के निर्देश उस निकाय के प्रति जो सदस्यों के ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो तथा ऐसे प्रतिनिधियों की सामान्य बैठक के निर्देश समझे जायेंगे।